समाहरणालय, गढ़वा

(जिला समाज कल्याण)

निविदा सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉची के आवंटन पत्रांक–101, दिनांक– 20.10.2016 से वित्तीय वर्ष–2016–17 में क्रमशः जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/अन्य क्षेत्रीय उपयोजना एवं वि ोश अंगिभूत उपयोजना अन्तर्गत दिब्यांगो के लिए विशेषयंत्र उपकरण प्रदान करने के निमित आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक– 28.11.2016 को 2 बजे अपराहन् तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, गढ़वा में जमा ली जायेगी, तथा दिनांक–28.11.2016 को 3 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायेगी।

आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का विवरण निम्नवत् है –

1	Tricycle	सभी विशेष यंत्र एवं उपकरण आई.एस.आई. का मार्का का होना चाहिए या एलिम्को द्वारा निर्मित हो।
2	Wheel Chair (Adult)	
3	Blind Stick	
4	Walking Stick	
5	Pair of Crutch (Adult)	
6	Pair of Crutch (Child)	
7	Hearing Aid	

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) की प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के पदनाम से हो, जमा करना होगा।
2. निविदादाता को झारखण्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
3. निविदादाता को आयकर (विगत तीन वर्षों का ऑडीट रिपोर्ट सी.ए. द्वारा निर्गत) एवं बिक्रीकर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि वित्तीय विड के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. सामग्री की आपूर्ति परियोजना कार्यालय के गोदाम में करनी होगी जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
5. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा।
6. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का कर अलग से देय नहीं होगा।
7. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद् करने या निविदा की स्वीकृति आगे बढ़ाने का अधिकार उपायुक्त, गढ़वा के पास सुरक्षित रहेगा, जिसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
8. निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा की गई बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
9. प्रत्येक सामान का एक ही दर एवं नमूना देना होगा एक से अधिक दर या नमूना होने पर निविदा रद् कर दी जाएगी। निविदा खुलने के समय प्रत्येक सामग्री का एक ही नमूना क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. तकनीकि वीड एवं वित्तीय वीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना आवश्यक होगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनीकि वीड/वित्तीय बिड अंकित रहनी चाहिए।
11. सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा नमूने के अनुरूप उपस्कर/उपकरण यंत्र आदि की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
उपायुक्त,
गढ़वा